THE DTAILS OF CANDIDATES SELECTED BY THE HPSC AND HSSC

14/16/78 (50) SH. SHAMSHER SINGH GOGI (ASSANDH).

Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) the number of candidates selected from native residents of Haryana State and other than Haryana State in the permanent recruitment made by the Haryana Public Service Commission from November, 2014 to July, 2023 togetherwith the year-wise details thereof; and
- b) the number of candidates selected from native residents of Haryana State and other than Haryana State in the permanent recruitment made by the Haryana Staff Selection Commission from November, 2014 to July, 2023 togetherwith the year-wise details thereof?

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Sir,

- a) Haryana Public Service Commission selects the candidates on merit, & as per educational qualification, experience, age and other rules regulations mentioned in the requisition received from Government/concerned Department. After the selection, recommendation of selected candidates is sent to the concerned Government Department alongwith the original application form and all enclosures. HPSC does not maintain the record of recommended candidates being residents of Haryana or not.
- b) Haryana Staff Selection Commission made the selection on the basis of merit and thereafter, send the recommendation of the selected candidates to the concerned departments. So, such type of information is available with concerned departments as verification of documents of the candidates is done by concerned departments.

लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा

14/16/78 (50). श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक (असंध):— क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:—

- (क) नवम्बर, 2014 से जुलाई, 2023 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा की गई स्थाई भर्तियों में हरियाणा राज्य के मूल निवासियों तथा हरियाणा राज्य से बाहर के चयनित अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा उसका वर्ष—वार ब्यौरा क्या है; तथा
- (ख) नवम्बर, 2014 से जुलाई, 2023 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई स्थाई भर्तियों में हरियाणा राज्य के मूल निवासियों तथा हरियाणा राज्य से बाहर के चयनित अभ्यार्थियों की संख्या कितनी है तथा वर्ष—वार ब्यौरा क्या है?

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

महोदय.

- (क) सरकार / संबंधित विभाग से मांगपत्र प्राप्त होने उपरांत हरियाणा लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों को मैरिट, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, उम्र और अन्य नियम व विनियमों के आधार पर चयनित करता है। चयनित उम्मीदवारों के चयन के बाद उनके मूल आवेदन पत्र और उसके साथ लगे अनुलग्नकों को संबंधित सरकारी विभाग को भेज दिया जाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग चयनित उम्मीदवारों का हरियाणा का निवासी होने या नहीं होने का रिकार्ड नहीं रखता है।
- (ख) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग योग्यता के आधार पर चयन करता है और उसके बाद चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश संबंधित विभागों को भेज दी जाती है। संबंधित विभागों के द्वारा ही चयनित उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन करने उपरांत उन्हें नियुक्ति प्रदान की जाती है। अतः इस प्रकार का ब्यौरा संबंधित विभागों के पास ही उपलब्ध होता है।